

ब्रह्मानन्द कटार

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद उच्च लेवी लिपिग
4. अगली वेतनवृद्धि 01-7-2015

3. वर्तमान वेतन 10120+2100
 5. वर्तमान पद का कुल वेतन 10120+2100+13396+626=26547

उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है, ***पट्टा, बंध, विरासत, रिट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख, जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति का वार्षिक आय	अभियुक्त से
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)					
1. ग्राम मनपुरा तह. कटेर मंडल	02	03 02 बीघा कृषि भूमि मि. हिलसा	300000/- 31/5/18	04 प्रकृत भूमि मि. हिलसा	05 पट्टा संयुक्त परिवार	06 12000/-	08
2. मुकुजी कालोनी तमिळ	गृह 15X48=720 वर्ग फीट	-	670000/- 31/5/18	श्रीमती सायना कटार पत्नी	पूर्व में कृषि प्लॉट पर गृह निर्माण कार्य एवं कृषि कार्य पेशानर माता के द्वारा कराया गया था		

- * जहां लागू न हो काट दीजिये।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का यही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विपरीत के संदर्भ में उल्लेख मूल्य बतलाया जावे।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

7. टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में प्रवेश करने के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा एक भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

ब्रह्मानन्द कटार
 27-5-15

नाम ब्रह्मानन्द कटार
 पद उच्च लेवी लिपिग
 जिला उपगोस्ता जोरम भुरनाम